छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

// आदेश //

क्रमांक – २५

दिनांक २६ / ९ /2022

विषयः–मण्डल कॉलोनियों में आवासीय भवनों/भू–खण्डों का व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किए जाने पर मण्डल द्वारा अर्थदण्ड भारित किए जाने के संबंध में।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 71वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 17.08.2022 के एजेण्डा क्रमांक 10 पर पारित संकल्प क्रमांक 1954/10/71/08/2022 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भू–खण्ड/भवन का उपयोग आवासीय प्रयोजन के स्थान पर मण्डल की स्वीकृति/अनापत्ति के बिना व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, उक्त संपत्ति का फ्री–होल्ड करने के पूर्व, व्यवसायिक उपयोग का क्षेत्रफल अनुसार अर्थदण्ड प्रस्ताव के संबंध में मण्डल की ऐसी कॉलोनी जो मण्डल द्वारा हस्तांतरित नही है, पर लागू करते हुए, मण्डल द्वारा निम्नानुसार अर्थदण्ड भारित किया जावे :–

क्र.	आवासीय भू–खण्ड/भवनों में व्यवसायिक उपयोग का क्षेत्रफल	भारित अर्थदण्ड राशि
1.	500 वर्ग फीट तक	रू. 10,000/-
2.	501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट तक	रू. 25,000/–
3.	1001 वर्ग फीट से 1500 वर्ग फीट तक	रू. 50,000/–
4.	1501 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट तक	रू. 1,00,000/–
5.	2001 वर्ग फीट से अधिक	रू. 2,00,000/–

अर्थदण्ड पट्टे की शर्त के उल्लंघन के तहत् अधिरोपित किया जावेगा, अर्थदण्ड पश्चात् भी आवासीय भू–खण्डों/भवनों की अनुबंध की शर्तो पर कोई बदलाव नही होगा, साथ ही हितग्राही को स्थानीय निकाय/शासन के अधिकृत विभाग से नियमितीकरण की कार्यवाही कराया जाना आवश्यक होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(मण्डल के आदेशानुसार)

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)
नवा रायपुर, दिनॉक २६/९/2022

पृ.क्र. १७१ /आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या/एफ–21/22

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
5. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01 02, 04, रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग – 01, नवा रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/ कवर्धा/ बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव/ जगदलपुर/ धमतरी/ महासमुन्द/ कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
12. वास्तुविद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
13. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01, 02, 04 रायपुर/प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना – रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/ कवर्धा/ बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव/ जगदलपुर/ धमतरी/ महासमुन्द/ कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
15. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)